



2026:AHC:175474

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8531 सन् 2026

मोहनिया देवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता : कमलेन्द्र त्रिपाठी

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 657 सन् 2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 61(2), 238 भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.) एवं धारा 66-डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मुकदमे में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक एक वृद्ध महिला है, जिसकी आयु लगभग 72 वर्ष है। आवेदक एक विधवा है। वह पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही थी। आवेदक ने अपने बैंक खाते का दुरुपयोग कर की गई धोखाधड़ी की जानकारी होने पर रु. 16 लाख जमा कर दिए हैं।
4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। सह-अभियुक्त ने आवेदक तथा कोषागार विभाग के कतिपय अधिकारियों की मिलीभगत से आवेदक के खाते में रु. 51,16,471/- जमा किए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक ने केवल आंशिक धनराशि जमा की है। शेष धनराशि का आवेदक द्वारा गबन कर लिया गया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया।

6. आवेदक एक वृद्ध महिला है, जिसकी आयु लगभग 72 वर्ष है। कथित रूप से गबन की गई धनराशि का एक भाग पहले ही जमा किया जा चुका है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण घनश्याम दत्त मिश्रा, अवधेश नारायण, अजय कुमार पांडेय एवं नरेश दत्त मिश्रा को इस न्यायालय द्वारा उनकी वृद्धावस्था पर विचार करते हुए दण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. संख्या 6874 सन् 2026, 2121 सन् 2026, 10274 सन् 2025 एवं 10416 सन् 2025 में क्रमशः अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है तथा आवेदक ने विचारण में सहयोग करने का वचन दिया है।

7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक का प्रकरण, जो सह-अभियुक्तगण के समकक्ष है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त प्रकरण प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक - **मोहनिया देवी** आज से तीन सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी तथा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा की जाएगी:-

- i. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे छूट प्रदान न कर दी जाए;
- ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को, उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत करने हेतु, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगी;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी/उसे भयभीत नहीं करेगी;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अवलोकन मात्र प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा उन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

प्रशांत डी.

Translated Version, Not For Legal Use.